

कार्य का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रस्तावित जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 123 (507) थाथरी खड्ड से मुराडी गांव के पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के किमी0 75.00 से 101.00 तक के भाग का दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-26.00 किमी0)

मानक शर्तें

वन अनुभगा-3, उ0प्र0 शासन का पत्र सं0 7314 / 14-03-980 / 82

दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और यह पूर्व की भाँति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा। अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अतः उसके किसी भी भाग को किसी भी अन्य विभाग संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाय कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायेंगे और ऐसा किये जाने पर संबंधित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से संबंधित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस संबंध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेंगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से अच्छान्दित वन एवं जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्बव प्रस्तावित न किया जाय, केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छ विदरण यी व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों/पौधों को एवं विभाग के कर्मचारियों को निशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापिस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न करने पर भी हस्तान्तरित भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रकार का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर "एलाइमेंट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0निर्माण द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस संबंध में प्रमुख अभियन्ता लो0निर्माण के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10.12.1982 में निहित आदेशों का पालन भी लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा, कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को मामूली फेरबदल कर पक्का करना होगा वर्ते ऐसा करना। याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

12. वन भूमि मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सूची सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा ३०प्र० वन नियम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे, द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षरोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिषोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मी० एवं 30' से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बांज (वप) के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा, या खम्भों को ऊचा करके इससे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो चूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संबंधित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पवका करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करियेगा।
17. लिखित मानक षट्ठों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य षट्ठों लायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होंगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय जब उक्त षट्ठों का पूर्ण पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भरत सरकार द्वारा लगाई गई शर्त प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

कनिष्ठ अभियन्ता  
रामाखण्ड, लोनिविंठ  
बड़कोट

सहायक अभियन्ता  
रामाखण्ड, लोनिविंठ  
बड़कोट

अधिशासी अभियन्ता  
रामाखण्ड, लोनिविंठ  
बड़कोट

कार्य का नाम:-

उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रस्तावित जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 123 (507) थाथरी खड़े से मुराढ़ी गांव के पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के किमी0 75.00 से 101.00 तक के भाग का दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-26.00 किमी0)

राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाली मानक शर्तें-मान्य होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लगायी जाने वाली मानक शर्तें याचक विभाग को मान्य होगी।

सहायक अधिकारी  
राज्यमार्ग लोनिंगिं  
बड़कोट (उत्तरकाशी)

अधिकारी अधिकारी  
राज्यमार्ग लोनिंगिं  
बड़कोट (उत्तरकाशी)